

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बर: 106/2023

वादी -

1. केसाराम पुत्र हणमानराम जाति जाट उम्र करीबन 62 वर्ष निवासी ग्राम खारडापुरा तहसील नावां।
2. जवाराराम पुत्र तेजाराम जाति जाट उम्र करीबन 58 वर्ष निवासी ग्राम खारडापुरा तहसील नावां।
3. भंवरलाल पुत्र तेजाराम जाति जाट उम्र करीबन 65 वर्ष निवासी ग्राम खारडापुरा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. जोराराम पुत्र दानाराम जाति जाट उम्र करीबन 52 वर्ष निवासी ग्राम खारडापुरा तहसील नावां।
2. गणपतराम पुत्र छोटूराम जाति जाट उम्र करीबन 53 वर्ष निवासी ग्राम खारडापुरा तहसील नावां।
3. गोविन्दराम पुत्र छोटूराम जाति जाट उम्र करीबन 42 वर्ष निवासी ग्राम खारडापुरा तहसील नावां।
4. मदनलाल पुत्र छोटूराम जाति जाट उम्र करीबन 50 वर्ष निवासी ग्राम खारडापुरा तहसील नावां।
5. रामेश्वरलाल पुत्र छोटूराम जाति जाट उम्र करीबन 48 वर्ष निवासी ग्राम खारडापुरा तहसील नावां।
6. जीवणराम पुत्र छोटूराम जाति जाट उम्र करीबन 44 वर्ष निवासी ग्राम खारडापुरा तहसील नावां।
7. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सुरेरा तहसील दांतारामगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां (भूमिधारी)

दावा बाबत इस्तकरार हक व रिकॉर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

पीठारीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह आर.एस.

उपस्थित :- श्री हनुमानाराम अधिवक्ता वादीगण
श्री रामेश्वरलाल भीवर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

निर्णय

दिनांक :- 02.08.2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एक ही खानदान के सदस्य है। सजरा खानदान वाद पत्र में पेश किया। राजस्व ग्राम राजलिया तहसील नावा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर

1222/627 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1223/627 रकबा 1.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1224/628 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1225/628 रकबा 1.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 620 रकबा 1.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 621 रकबा 2.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 626 रकबा 2.8500 हैक्टर कुल रकबा 10.1400 हैक्टर में से 3.33 हैक्टर तथा ग्राम खारड़ापुरा के खसरा नम्बर 308 रकबा 0.8800 हैक्टर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नम्बर 370 रकबा 1.0800 हैक्टर कुल रकबा 2.6900 हैक्टर भूमि, तथा खसरा नम्बर 367 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नम्बर 368 रकबा 0.0600 हैक्टर कुल रकबा 0.3600 हैक्टर भूमि, खसरा नम्बर 307 रकबा 1.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 312 रकबा 1.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.6100 हैक्टर कुल रकबा 3.2300 हैक्टर भूमि, खसरा नम्बर 1067/371 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 160 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.8200 हैक्टर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.8600 हैक्टर, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.9000 हैक्टर कुल रकबा 3.0800 हैक्टर भूमि, खसरा नम्बर 158 रकबा 1.4000 हैक्टर, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.5800 हैक्टर, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.5500 हैक्टर, खसरा नम्बर 164 रकबा 1.0500 हैक्टर कुल रकबा 4.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1029/317 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1052/1030 रकबा 1.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 314 रकबा 1.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 315 रकबा 1.4800 हैक्टर, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.4400 हैक्टर कुल रकबा 5.8100 हैक्टर भूमि स्थित है। नकल खतौनी वादपत्र के साथ संलग्न पेश किये। ग्राम राजलिया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1222/627, 1223/627, 1225/628, 1224/628, 620, 621 कुल रकबा 10.1400 हैक्टर भूमि में से 3.33 हैक्टर भूमि एवं ग्राम खारड़ापुरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 308, 309, 370 कुल रकबा 2.6900 हैक्टर, खसरा नम्बर 367, 368 कुल रकबा 0.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 307, 312, 313 कुल रकबा 3.2300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1067/371 रकबा 1.2500 हैक्टर, खसरा नम्बर 160, 310, 311, 369 कुल रकबा 3.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 158, 159, 162, 163, 164 कुल रकबा 4.0000 हैक्टर, खसरा नम्बर 1029/317, 1052/1030, 314, 315, 316 कुल रकबा 5.8100 हैक्टर भूमि में से 2.16 हैक्टर वादीगण व प्रतिवादीगणों कि संयुक्त कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि रही है। जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने काश्त की सुविधा के लिए आपसी सहमति से मौके पर वंटवारा कर निम्न माफिक अलग अलग काबिज चले आ रहे हैं। ग्राम राजलिया के खसरा नम्बर 1222/627, 1223/627, 1224/628, 1225/628, 620, 621, 626 कुल रकबा 10.1400 हैक्टर में वादीगण 1,2,3 व प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम अंकित हिस्सा 111/5408 +555/5408 +333/2704 +111/1352 कुल 111/338 हिस्सा = 3.33 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि वादी नम्बर 1 केसाराग के कब्जे काश्त में तथा ग्राम खारड़ापुरा के खसरा नम्बर 160 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 158 रकबा 1.4000 हैक्टर में से 0.20 हैक्टर भूमि, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.9000 हैक्टर में से 0.4200 हैक्टर, खसरा नम्बर 367, 368 कुल रकबा 0.3600 हैक्टर में से 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1067/371 रकबा 1.2500 हैक्टर में हिस्सा 29/500 कुल

भूमि 5.0325 हेक्टर भूमि वादी नम्बर 1 केसारास के कब्जे काश्त में, खसरा नम्बर 308, 309, 370 कुल रकबा 2.6900 हेक्टर, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.8200 हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.8600 हेक्टर में से पूर्वी तरफ की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 367, 368 कुल रकबा 0.3600 हेक्टर में से 0.0900 हेक्टर, खसरा नम्बर 1029/317, 1052/1030, 314, 315, 316 कुल रकबा 5.8100 हेक्टर में से 1.0800 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 1067/371 रकबा 1.2500 हेक्टर में हिस्सा 12/125 कुल रकबा 5.1000 हेक्टर भूमि वादीगण 2 व 3 भनरलाल, जवाहरास पिरासन केसारास के कब्जे काश्त में है। खसरा नम्बर 307,312,313 कुल रकबा 3.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 1029/317, 1052/1030, 314, 315, 316 कुल रकबा 5.8100 हेक्टर में हिस्सा 8/83 = 0.5600 हेक्टर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.8600 हेक्टर में से पश्चिमी तरफ की 0.5600 हेक्टर, खसरा नम्बर 1067/371 रकबा 1.2500 हेक्टर में 12/125 हिस्सा, खसरा नम्बर 367, 368 कुल रकबा 0.3600 हेक्टर में से 0.0900 हेक्टर, खसरा नम्बर 1029/317, 1052/1030, 314, 315, 316 कुल रकबा 5.8100 हेक्टर में 0.5200 हेक्टर, कुल 5.0800 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 जोसारास पुत्र दानारास के कब्जे काश्त में है। खसरा नम्बर 162, 163, 164 कुल रकबा 2.1800 हेक्टर, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.90 हेक्टर में से 0.4800 हेक्टर, खसरा नम्बर 367,368 कुल रकबा 0.3600 हेक्टर में से 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 1067/371 रकबा 1.2500 हेक्टर में 3/4 हिस्सा 0.9375 हेक्टर, खसरा नम्बर 158 रकबा 1.4000 हेक्टर में से 1.20 हेक्टर कुल 4.8875 हेक्टर भूमि प्रतिवादीगण 2 ता 6 मणपतसाम, गोविन्दसाम, जीवणसाम, मदनलाल, रामेश्वरलाल पिरासन छोटूराम बहिरसा बराबर-बराबर के कब्जे काश्त में बली आ रही है। जिराका बंटवारा राजरव रेक्ट में आपसी सहमति से किया गया था। परन्तु मलती से ग्राम खारडापुरा के खसरा नम्बर 369 रकबा 0.90 हेक्टर में पूर्वी तरफ की 0.4800 हेक्टर भूमि प्रतिवादीगण 2 ता 6 के कब्जे काश्त की है। जिराको वादी नम्बर 1 के खातेदासी में दर्ज कर दी। खसरा नम्बर 158 रकबा 1.4000 हेक्टर में से 0.20 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 159 रकबा 0.4200 हेक्टर कुल रकबा 0.6200 हेक्टर भूमि वादी नम्बर 1 केसारास के कब्जे काश्त की है। उसको प्रतिवादीगण 2 ता 6 के खातेदासी में दर्ज कर दी। खसरा नम्बर 1029/317, 1052/1030, 314, 315, 316 कुल रकबा 5.8100 हेक्टर भूमि में हिस्सा 8/83 = 0.5600 हेक्टर भूमि, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.8600 हेक्टर भूमि में से 0.5600 हेक्टर भूमि कुल 1.1200 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 जोसारास के कब्जे काश्त में है। उसको वादी नम्बर 1 केसारास के, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.8200 हेक्टर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.8600 हेक्टर में से 0.30 हेक्टर भूमि कुल 1.1200 हेक्टर भूमि वादीगण 2 ता 3 के कब्जे काश्त की है। उसको वादी नम्बर 1 केसारास के खातेदासी में दर्ज कर दी। खसरा नम्बर 1067/371 रकबा 1.2500 हेक्टर भूमि में वादीगण नम्बर 1 के नाम अंकित हिस्सा 1/4 के स्थान पर 28/500 हिस्सा की भूमि पर वादी नम्बर 1, 12/125 हिस्सा की भूमि पर वादीगण 2 ता 3 बहिरसा बराबर बराबर तथा हिस्सा 12/125 कि भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 काबिज है। परन्तु उपरोक्त सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 वादी नम्बर 1 के नाम खातेदासी में दर्ज कर दी। ग्राम राजलिया के खसरा नम्बर 1222/627, 1223/627, 1224/628,

1225/628, 620, 621, 626 कुल रकबा 10.1400 हैक्टर मे वादी नम्बर 1, 2, 3 व प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम अंकित कुल हिस्सा 111/338 = 3.33 हैक्टर भूमि पर वादी नम्बर 1 केसाराय काविज कृषक चला आ रहा है। परन्तु उसमे से हिस्सा 111/5408, 555/5408, 333/2704 हिस्सा की भूमि वादीगण 2 व 3 तथा प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज कर दी। जो वादीगणो के जायज अधिकारो पर कतई बेअसर है। वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 6 निर्विवाद रूप से अपने अपने कब्जे काशत की भूमियो पर निरन्तर काविज कृषक चले आ रहे है। वादीगण मुताबिक कब्जा काशत बंटवारे के अनुसार खातेदारी दर्ज नही होकर गिन्न खातेदारी दर्ज है। जिसकी दुरस्ती हेतु यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। राजस्व ग्राम राजलिया के खसरा नम्बर 1222/627, 1223/627, 1224/628, 1225/628, 620, 621, 626 कुल रकबा 10.1400 हैक्टर के खाते में वादी नम्बर 1 का नाम गलती से जोराराम पुत्र दानाराम के वजाय जोराराम पुत्र दानाराम दर्ज है। जबकि ग्राम खारडापुरा कि सरहद मे स्थित भूमियो में तथा उनके पहचानपत्र आधार कार्ड आदि मे जोराम पुत्र दानाराम दर्ज चला आ रहा है। जिसकी दुरस्ती राजस्व रेकार्ड में जोराराम पुत्र दानाराम के वजाय जोराराम पुत्र दानाराम करवाने का अधिकारी प्रतिवादी नम्बर 1 है। वाद मे प्रतिवादीगण 1 ता 6 के नाम खातेदारी इन्द्राज होने व प्रतिवादी नम्बर 7 के पक्ष मे भूमि रहन होने व प्रतिवादी नम्बर 8 भूमिधारी होने से वाद मे आवश्यक एवं फौरमल पक्षकार बनाये गये है।

राजस्व ग्राम राजलिया तहसील नावा की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1222/627 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1223/627 रकबा 1.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1224/628 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1225/628 रकबा 1.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 620 रकबा 1.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 621 रकबा 2.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 626 रकबा 2.8500 हैक्टर कुल रकबा 10.1400 हैक्टर मे वादीगण 1 ता 3 व प्रतिवादी नम्बर 1 का हिस्सा 111/1352+ 111/5408+ 555/5408+ 333/2704 कुल हिस्सा 111/338 की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी नम्बर केसाराय के कब्जे काशत मे है इसमे वादीगण 2 ता 3 व प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम हटाया जावे एवं ग्राम खारडापुरा के खसरा नम्बर 369 रकबा 0.9000 हैक्टर मे से 0.4800 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 2 ता 6 के बहिस्सा बराबर व खसरा नम्बर 158 रकबा 1.4000 हैक्टर मे से 0.2000 हैक्टर भूमि का तथा खसरा नम्बर 159 रकबा 0.4200 हैक्टर सम्पूर्ण कुल 0.6200 हैक्टर भूमि का वादी नम्बर 1 केसाराय के, खसरा नम्बर 1029/317, 1052/1030, 314, 315, 316 कुल रकबा 5.8100 हैक्टर मे वादी केसाराय के नाम अंकित हिस्सा 8/83 की भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 जोराराम का, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.8200 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 311 रकबा 0.8600 हैक्टर मेसे पूर्वी तरफ की 0.30 हैक्टर कुल 1.1200 हैक्टर भूमि वादीगण 2 ता 3 जवाराराम, भंवरलाल के बहिस्सा बराबर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.86 हैक्टर मे से पश्चिमी तरफ की 0.5600 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी नम्बर 1 जोराराम, खसरा नम्बर 1067/371 रकबा 1.2500 हैक्टर मे वादी नम्बर 1 का हिस्सा 1/4 के स्थान पर हिस्सा 29/500 पर वादी नम्बर 1 केसाराय हिस्सा 6/125 पर वादी नम्बर 2, हिस्सा 6/125 पर वादी नम्बर 3 हिस्सा 12/125 पर प्रतिवादी नम्बर 1

काबिज कृषक है। जिसकी खातेदारी अधिकारो की डिक्री वहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण फरमाकर मुताबिक डिक्री राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने व ग्राम राजलिया के खसरा नम्बर 1222/627, 1223/627, 1224/628, 1225/628, 620,621,626 के खाते में इन्द्राज प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम जोराराम पुत्र दानाराम के वजाय जोराराम पुत्र दानाराम दुरस्त करने एवं मुताबिक डिक्री भूमि वैक के नाम ऋणी खातेदार की भूमि यथावत रहन रहेगी का आदेश तहसीलदार नांवा को आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 का जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाने एवं प्रवितादी संख्या 8 का तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के वावजूद भी अनुपरिथत रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल भींचर ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम राजलिया तहसील नांवा की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1222/627, 1223/627, 1224/628, 1225/628, 620, 621, 626 कुल रकबा 10.14 हैक्टर में हिस्सा 111/338 की भूमि पर वादी संख्या 1 एवं ग्राम खारड़ापुरा के खसरा नम्बर 369 रकबा 0.90 हैक्टर मे से 0.48 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 1.4000 हैक्टर मे से 0.2000 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 159 रकबा 0.4200 हैक्टर कुल 0.6200 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 1 एवं खसरा नम्बर 1029/317, 1052/1030, 314, 315, 316 कुल रकबा 5.8100 हैक्टर में 8/83 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं खसरा नम्बर 310 रकबा 0.8200 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 311 रकबा 0.8600 हैक्टर मे से पूर्वी तरफ की 0.30 हैक्टर पर वादीगण 2 ता 3 का एवं खसरा नम्बर 311 रकबा 0.86 हैक्टर मे से पश्चिमी तरफ की 0.5600 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 एवं खसरा नम्बर 1067/371 रकबा 1.2500 हैक्टर मे हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 29/500 पर वादी संख्या 1, हिस्सा 6/125 पर वादी संख्या 2, हिस्सा 6/125 पर वादी संख्या 3, हिस्सा 12/125 पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त है जिसकी डिक्री फरमा दी जावे तो हम प्रतिवादीगण को एतराज नहीं होगा। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी भंवरलाल, पी.डब्ल्यू. 2 वादी केसाराण के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के पेश किये। पत्रावली को बहस हेतु नियत की गई।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के इकबाली जवाब का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम राजलिया तहसील नांवा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1222/627 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1223/627 रकबा 1.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1224/628 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1225/628 रकबा 1.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 620 रकबा 1.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 621 रकबा 2.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 626 रकबा 2.8500 हैक्टर कुल रकबा 10.1400 हैक्टर में वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 111/1352+ 111/5408+ 555/5408+ 333/2704 कुल हिस्सा 111/338 की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी नम्बर केसाराण के कब्जे


काश्त में है इसमें वादीगण 2 ता 3 व प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम हटाना एवं ग्राम खारड़ापुरा के खसरा नम्बर 369 रकबा 0.9000 हैक्टर में से 0.4800 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के बहिस्सा बराबर व खसरा नम्बर 158 रकबा 1.4000 हैक्टर में से 0.2000 हैक्टर भूमि का तथा खसरा नम्बर 159 रकबा 0.4200 हैक्टर सम्पूर्ण कुल 0.6200 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 1 केसाराम के, खसरा नम्बर 1029/317,1052/1030, 314, 315, 316 कुल रकबा 5.8100 हैक्टर में वादी केसाराम के नाम अंकित हिस्सा 8/83 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 जोराराम का, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.8200 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 311 रकबा 0.8600 हैक्टर में से पूर्वी तरफ की 0.30 हैक्टर कुल 1.1200 हैक्टर भूमि वादीगण 2 ता 3 जवाराराम, भंवरलाल के बहिस्सा बराबर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.86 हैक्टर में से पश्चिमी तरफ की 0.5600 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 जोराराम, खसरा नम्बर 1067/371 रकबा 1.2500 हैक्टर में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 के स्थान पर हिस्सा 29/500 पर वादी संख्या 1 केसाराम हिस्सा 6/125 पर वादी संख्या 2, हिस्सा 6/125 पर वादी संख्या 3 हिस्सा 12/125 पर प्रतिवादी संख्या 1 का बिज कृषक हैं जिसकी खातेदारी अधिकारों की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण करवाना चाहते हैं तथा ग्राम राजलिया के खसरा नम्बर 1222/627, 1223/627, 1224/628, 1225/628, 620,621,626 के खाते में इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 का नाम जोराराम पुत्र दानाराम के बजाय जोराराम पुत्र दानाराम दुरस्त करवाना चाहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम राजलिया तहसील नांवा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1222/627, 1223/627, 1224/628, 1225/628, 620, 621, 626 कुल रकबा 10.14 हैक्टर में हिस्सा 111/338 की भूमि पर वादी संख्या 1 एवं ग्राम खारड़ापुरा के खसरा नम्बर 369 रकबा 0.90 हैक्टर में से 0.48 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 1.4000 हैक्टर में से 0.2000 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 159 रकबा 0.4200 हैक्टर कुल 0.6200 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 1 एवं खसरा नम्बर 1029/317, 1052/1030, 314, 315, 316 कुल रकबा 5.8100 हैक्टर में 8/83 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं खसरा नम्बर 310 रकबा 0.8200 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 311 रकबा 0.8600 हैक्टर में से पूर्वी तरफ की 0.30 हैक्टर पर वादीगण 2 ता 3 का एवं खसरा नम्बर 311 रकबा 0.86 हैक्टर में से पश्चिमी तरफ की 0.5600 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 एवं खसरा नम्बर 1067/371 रकबा 1.2500 हैक्टर में हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 29/500 पर वादी संख्या 1, हिस्सा 6/125 पर वादी संख्या 2, हिस्सा 6/125 पर वादी संख्या 3, हिस्सा 12/125 पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त है जिसकी डिक्री जारी करने हेतु सहमति दी है। इस प्रकार वादीगण के वाद पत्र व वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के इकबाली जवाब के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम राजलिया तहसील नांवा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1222/627 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1223/627 रकबा 1.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1224/628 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1225/628 रकबा 1.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 620 रकबा 1.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 621 रकबा 2.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 626 रकबा 2.8500 हैक्टर कुल रकबा 10.1400 हैक्टर में वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा 111/1352 + 111/5408 + 555/5408 + 333/2704 कुल हिस्सा 111/338 की सम्पूर्ण भूमि का वादी संख्या 1 केसाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त भूमि में वादीगण 2 ता 3

व प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम हटाया जाता है। ग्राम खारड़ापुरा के खसरा नम्बर 369 रकबा 0.9000 हैक्टर में से 0.4800 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को बहिस्सा बराबर खातेदार एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 1.4000 हैक्टर में से 0.2000 हैक्टर भूमि का व खसरा नम्बर 159 रकबा 0.4200 हैक्टर सम्पूर्ण कुल 0.6200 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 1 केसाराम को खातेदार एवं खसरा नम्बर 1029/317,1052/1030, 314, 315, 316 कुल रकबा 5.8100 हैक्टर में वादी संख्या 1 केसाराम के नाम अंकित हिस्सा 8/83 की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 जोराराम को खातेदार एवं खसरा नम्बर 310 रकबा 0.8200 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 311 रकबा 0.8600 हैक्टर में से पूर्वी तरफ की 0.30 हैक्टर कुल 1.1200 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 2 ता 3 जवाराराम, भंवरलाल को बहिस्सा बराबर खातेदार एवं खसरा नम्बर 311 रकबा 0.86 हैक्टर में से पश्चिमी तरफ की 0.5600 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 जोराराम को खातेदार एवं खसरा नम्बर 1067/371 रकबा 1.2500 हैक्टर में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 के स्थान पर हिस्सा 29/500 का वादी संख्या 1 केसाराम को खातेदार, हिस्सा 6/125 का वादी संख्या 2 को खातेदार, हिस्सा 6/125 का वादी संख्या 3 को खातेदार, हिस्सा 12/125 का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ग्राम राजलिया के खसरा नम्बर 1222/627, 1223/627, 1224/628, 1225/628, 620, 621, 626 कुल रकबा 10.1400 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम जोराराम पुत्र दानाराम के स्थान पर जोराराम पुत्र दानाराम दुरस्त कर घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.08.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

अदालत:- उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला नागौर, राज.

अज अदालत :- श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

वादी -

1. केसाराम पुत्र हणमानराम जाति जाट उम्र करीबन 62 वर्ष निवासी ग्राम खारड़ापुरा तहसील नावां।
2. जवाराराम पुत्र तेजाराम जाति जाट उम्र करीबन 58 वर्ष निवासी ग्राम खारड़ापुरा तहसील नावां।
3. भंवरलाल पुत्र तेजाराम जाति जाट उम्र करीबन 65 वर्ष निवासी ग्राम खारड़ापुरा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. जोराराम पुत्र दानाराम जाति जाट उम्र करीबन 52 वर्ष निवासी ग्राम खारड़ापुरा तहसील नावां।
2. गणपतराम पुत्र छोटूराम जाति जाट उम्र करीबन 53 वर्ष निवासी ग्राम खारड़ापुरा तहसील नावां।
3. गोविन्दराम पुत्र छोटूराम जाति जाट उम्र करीबन 42 वर्ष निवासी ग्राम खारड़ापुरा तहसील नावां।
4. मदनलाल पुत्र छोटूराम जाति जाट उम्र करीबन 50 वर्ष निवासी ग्राम खारड़ापुरा तहसील नावां।
5. रामेश्वरलाल पुत्र छोटूराम जाति जाट उम्र करीबन 48 वर्ष निवासी ग्राम खारड़ापुरा तहसील नावां।
6. जीवणराम पुत्र छोटूराम जाति जाट उम्र करीबन 44 वर्ष निवासी ग्राम खारड़ापुरा तहसील नावां।
7. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सुरेरा तहसील दांतारामगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां (भूमिधारी)

मुकदमां नम्बर :- 106/2023

निर्णय दिनांक :- 02.08.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री हनुमानाराम अधिवक्ता वादीगण एवं श्री रामेश्वरलाल भींचर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को डिक्री दी जाती हैं कि :-

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम राजलिया तहसील नावा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1222/627 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नम्बर 1223/627 रकबा 1.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1224/628 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1225/628 रकबा 1.3600 हैक्टर, खसरा नम्बर 620 रकबा 1.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 621 रकबा 2.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 626 रकबा 2.8500 हैक्टर कुल रकबा 10.1400 हैक्टर में वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा 111/1352 + 111/5408 + 555/5408 + 333/2704 कुल हिस्सा 111/338 की सम्पूर्ण भूमि का वादी संख्या 1 केसाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त भूमि में वादीगण 2 ता 3 व प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम हटाया जाता है। ग्राम खारड़ापुरा के खसरा नम्बर 369 रकबा 0.9000 हैक्टर मे से 0.4800 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को बहिस्सा बराबर खातेदार एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 1.4000 हैक्टर मे से 0.2000 हैक्टर भूमि का व खसरा नम्बर 159 रकबा 0.4200 हैक्टर सम्पूर्ण कुल 0.6200 हैक्टर भूमि का वादी

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

संख्या 1 केसाराम को खातेदार एवं खसरा नम्बर 1029/317,1052/1030, 314, 315, 316 कुल रकबा 5.8100 हैक्टर में वादी संख्या 1 केसाराम के नाम अंकित हिस्सा 8/83 की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 जोराराम को खातेदार एवं खसरा नम्बर 310 रकबा 0.8200 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 311 रकबा 0.8600 हैक्टर में से पूर्वी तरफ की 0.30 हैक्टर कुल 1.1200 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 2 ता 3 जवाराराम, भंवरलाल को बहिस्सा बराबर खातेदार एवं खसरा नम्बर 311 रकबा 0.86 हैक्टर में से पश्चिमी तरफ की 0.5600 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 जोराराम को खातेदार एवं खसरा नम्बर 1067/371 रकबा 1.2500 हैक्टर में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 के स्थान पर हिस्सा 29/500 का वादी संख्या 1 केसाराम को खातेदार, हिस्सा 6/125 का वादी संख्या 2 को खातेदार, हिस्सा 6/125 का वादी संख्या 3 को खातेदार, हिस्सा 12/125 का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ग्राम राजलिया के खसरा नम्बर 1222/627, 1223/627, 1224/628, 1225/628, 620, 621, 626 कुल रकबा 10.1400 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम जोराराम पुत्र दानाराम के स्थान पर जोराराम पुत्र दानाराम दुरस्त कर घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.08.2023 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत:

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
नागाँव (नागाँव)

मुद्दे	पैसे	मुदायलह	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL
मीलान	NIL	मीजान	NIL